

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] No. 08] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017 वैशाख 15, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2017

सा.नि.आ. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना वेतन विनियम, 2017 है।
- (2) ये 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. लागू होना -
- (1) इस विनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये मानद कमीशंड अफसरों, मास्टर चीफ पेटी अफसर I/II, चीफ पेटी अफसर, पेटी अफसर, लीडिंग सीमैन तथा सीमैन I/II और इसमें ऐसे आर्टिफिशर या मैकेनीशियन भी सिम्मिलित हैं जो 01 जनवरी, 2016 को नौसेना की वास्तविक संख्या में हों तथा नौसेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रंगरूटों पर लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) *"विद्यमान मूल वेतन*" से विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित वेतन अभिप्रेत है किन्तु इसमें विशेष वेतन, मिलिट्री सेवा वेतन, समूह 'एक्स' वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार के वेतन सम्मिलित नहीं हैं,
 - (ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक नौसैनिक के संबंध में "*विद्यमान* वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन विनियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को (जिसके उपान्तरित सुनिश्चित कैरियर प्रगित के अधीन सहित) उसके द्वारा वास्तिवक हैसियत में धारित रैंक के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत है;

2971 GI/2017 (1)

- स्पष्टीकरण इन नियमों के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी भी नौसैनिक के संबंध में जो 01 जनवरी, 2016 को भारतीय नौसेना से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या छुट्टी पर था या अन्यत्र सेवा में था या जो उस तारीख को एक या अधिक निचले रैंक पर स्थानापन्न होता किंतु उच्चतर रैंक पर स्थानापन्न था "विद्यमान मूल वेतन", "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" पद से उस रैंक से संबंधित ऐसा मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत होगा जो वह उसके, यथास्थिति, भारतीय नौसेना के बाहर प्रतिनियुक्ति पर या छुट्टी पर या अन्यत्र सेवा पर या उस रैंक पर स्थानापन्न होने के बजाय धारित करता;
- (ग) नौसैनिक के संबंध में *"विद्यमान वेतन संरचना"* से, इनकी नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में नौसैनिक द्वारा धारित रैंक के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धित अभिप्रेत है।
- (घ) किसी नौसैनिक के संबंध में *विद्यमान सैन्य सेवा वेतन* से इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को उसके द्वारा धारित रैंक के लिए लागू एमएसपी की धनराशि अभिप्रेत है ।
- (ङ) किसी नौसैनिक के संबंध में *विद्यमान समूह 'एक्स' वेतन* से इन विनियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को उसके द्वारा धारित रैंक लिए लागू समूह 'एक्स' वेतन की धनराशि अभिप्रेत है।
- (च) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) विद्यमान सैन्य सेवा वेतन, (iii) विद्यमान समूह 'एक्स' वेतन और (iv) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत पर विद्यमान मंहगाई भत्ते का योग अभिप्रेत है;
- (छ) **"वेतन मैट्रिक्स"** से अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा-निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;
- (ज) वेतन मैट्रिक्स में **"लेवल"** से, अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।
- (झ) **"लेवल में वेतन"** से अनुसूची के भाग-क में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ञ) नौसैनिक के संबंध में "**सैन्य सेवा वेतन"** से वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में वेतन के आहरण पर उसके द्वारा धारित रैंक के लिए लागू सैन्य सेवा वेतन अभिप्रेत है ।
- (ट) नौसैनिक के संबंध में "समूह 'एक्स' वेतन" से वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में वेतन के आहरण पर उसको लागू समूह 'एक्स' वेतन अभिप्रेत है।
- (ठ) किसी रैंक के संबंध में **"पुनरीक्षित** *वेतन संरचना***"** से (उपान्तरित सुनिश्चित कैरियर प्रगित के अधीन सहित) उस रैंक के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स और लेवल अभिप्रेत हैं।
- (ड) पुनरीक्षित वेतन संरचना में **"मूल वेतन"** से, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन अभिप्रेत है।
- (ढ) **"पुनरीक्षित परिलब्धियों"** से (i) मूल वेतन ; (ii) सैन्य सेवा वेतन ; और (iii) समूह 'एक्स' वेतन का योग अभिप्रेत है ;
- (ण) "अनुसूची" से, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- 4. **रैंकों के लेवल** रैंकों के लेवल का अवधारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तत्स्थानी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (उपान्तरित सुनिश्चित कैरियर प्रगित के अधीन सहित) के लिए नियत किए गए हों और नौसैनिक के रैंक के लिए तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल अनुसूची के भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट है।

5. वेतन का आहरण :- (i) इन नियमों में या उपबंधित के सिवाय नौसैनिक उस रैंक को जिस पर उसे नियुक्त किया गया है (उपान्तरित सुनिश्चित कैरियर प्रगित के अधीन सहित) को लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में नियत लेवल में वेतन आहरित करेगा;

परन्तु कि कोई नौसैनिक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक या उसके अपना रैंक धारण करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां नौसैनिक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच प्रोन्नति के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया हो तो वह ऐसी प्रोन्नति की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के विकल्प का चयन कर सकेगा ।

- स्पष्टीकरण (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए इस नियम के उपबंधों के अधान विद्यमान वेतन संरचना में प्रतिधारित रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के संबंध में स्वीकार्य होगा।
- (ii) पूर्वोक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त या किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी नौसैनिक के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञात होगा।
- 2. (i) सैन्य सेवा वेतन नौसेना में सेवा की विशेष शर्तों से संबंधित विभिन्न अप्रत्यक्ष पहलुओं के लिए प्रतिकर है;
- (ii) सैन्य सेवा वेतन मानद कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 15,500/- रुपए की और अन्य सभी नौसैनिकों के लिए 5,200/- रुपए की दर पर वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में वेतन के आहरण पर अनुज्ञेय होगा;
- (iii) सैन्य सेवा वेतन को मंहगाई भत्ता और पेंशन की संगणना के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में संगणित किया जाएगा;
- (3) (i) समूह 'एक्स' वेतन केवल समूह 'एक्स' के नौसैनिक को समूह 'वाई' के नौसैनिक की तुलना में उनकी उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के कारण उनको अनुज्ञेय एक नियत धनराशि है।
- (ii) ट्रेड ग्रुप 'एक्स' और ट्रेड ग्रुप 'वाई' में समान रैंकों के लिए लेवल समान होंगे । ग्रुप 'एक्स' वेतन, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में वेतन के आहरण पर:
 - (क) ग्रुप 'एक्स' ट्रेड के लिए 6200/- रुपए का उच्चतर दर जिसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के समतुल्य अर्हता अपेक्षित है; और
 - (ख) अन्य ग्रुप 'एक्स' ट्रेडों जिनके पास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी अर्हता नहीं हैं, के लिए 3600/-रुपए के निम्नतर दर।

पर अनुज्ञेय होगा ।

- (iii) जब सुसंगत ग्रुप 'एक्स' ट्रेडों में कोई नौसैनिक ग्रुप 'एक्स' वेतन का निम्नतर दर आहरित कर रहा हो और वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा के समतुल्य उच्चतर तकनीकी अर्हता अर्जित कर लेता है तो उसे सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ग्रुप 'एक्स' वेतन का उच्चतर दर अनुज्ञेय होगी।
- (iv) जब कोई नौसैनिक ग्रुप 'वाई' से ग्रुप 'एक्स' में दोबारा नियुक्त होता है तो उसे उपर्युक्त उपखंड (ii) के अधीन यथालागू ग्रुप 'एक्स' वेतन अनुज्ञेय होगा ।
- (v) ग्रुप 'एक्स' वेतन को केवल महंगाई भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में संगणित किया जाएगा।
- 6. विकल्प का प्रयोग (1) नियम 5 के उपबंधों के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न प्रारूप में लिखित में किया जाएगा जिससे कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर या यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर नौसेना वेतन कार्या मुबंई के पास पहुंच जाए।

परन्तु कि;

- (i) ऐसा नौसैनिक जो, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा अन्यत्र सेवा में या सक्रिय सेवा पर देश से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीत नौसेना कार्यालय मुंबई के पास पहुंच जाए; और
- (ii) यदि नौसैनिक 01 जनवरी, 2016 को निलम्बनाधीन है तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीत कर सकेगा यदि वह तारीख इस उप-नियम में नियत तारीख के पश्चात की तारीख हो।
- (2) नौसैनिक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों से संलग्न प्रारूप एक वचनबंध के साथ नौसेना वेतन कार्यालय मुंबई को दी जाएगी।
- (3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर नौसेना वेतन कार्यालय मुंबई को प्राप्त नहीं होती है, तो नौसैनिक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है समझा जाएगा।
- (4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा।
 - टिप्पण 1 ऐसे नौसैनिक की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो संस्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।
 - टिप्पण 2 ऐसे नौसैनिक की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही या उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस पुनरीक्षित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है, यदि पुनरीक्षित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई नौसैनिकों के कमोडोर ब्यूरो/नौसैनिक वेतन कार्यालय, मुंबई द्वारा की जाएगी।
 - टिप्पण 3 ऐसे नौसैनिक जो 01 जनवरी, 2016 को वार्षिक छुट्टी या किसी अन्य छुट्टी पर थे, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, उप-विनियम (1) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे।
- 7. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का नियतन** (1) ऐसा नौसैनिक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही पुनरीक्षित वेतन संरचना से शासित होने के लिए विनियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह साझा गया है कि उसने इसके तहत विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश नहीं देते, निम्नलिखित रीति से नियत किया जाएगा:
 - (i) वेतन मैट्रिक्स में लागू लेवल में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूपी कोई समरूप राशि है तो वही राशि वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस लागू लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन नियत किया जाएगा।
 - (ii) यदि लागू लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा;

दृष्टान्ट:

1.	विद्यमान वेतन बैंड: पीबी-1	वेतन बैंड		5200 -202	200
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	2000	2400	2800
3.	विद्यमान वेतन: 10160	लेवल	3	4	5
4.	विद्यमान मूल वेतन [(2)+(3)=4] :	1	21700	25500	29200
	2400+10160= 12560	2	22400	26300	30100
5.	2.57[(4)x2.57] के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन : 32279.2	3	23100	27100	31000
	(32279 में पूर्णांकित)	4	23800	27900	31900
6.	ग्रेड वेतन 2400 (पीबी-1) का तत्स्थानी	5	24500	28700	32900
	लेवल : लेवल 4	6	2520□	29600	33900
7.	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे	7	26000	30500	34900
	अगली उच्चतर राशि): 32300	8	26800	31400	35900
8.	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन :	9	27600	32300	37000
	32300	10	28400	33300	38100
		11	29300	34300	39200
		12	30200	35300	40400
		13	31100	36400	41600
		14	32000	37500	42800
		15	33000	38600	44100
		16	34000	39800	45400

- (2) कोई नौसैनिक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (3) निलंबन के अधीन नौसैनिक विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
- (4) यदि किसी नौसैनिक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां संशोधित परिलब्धियों से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुज्ञात होगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (5) जहां विनियम 7 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में वेतन के निर्धारण में यदि कोई नौसैनिक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी शाखा/सेना में दूसरे नौसैनिक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसे किनष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके किनष्ठ का वेतन है।

- (6) जहां कोई नौसैनिक को इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, वहां ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अंतर उस नौसैनिक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (7) ऐसे नौसैनिक, जो 01 जनवरी, 2016 से पूर्व "हिन्दी शिक्षण योजना" के अधीन हिन्दी प्राज्ञ, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि और दूसरी ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर या रोकड़ और लेखा मामलों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के मामले में जबिक पुनरीक्षित वेतन संरचना में आरंभिक वेतन के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत वेतन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, वे पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने वेतन के निर्धारण के सिवाय 01 जनवरी, 2016 से ही या उसके तत्पश्चात उस अविध के लिए जिसके लिए उन्होंने इसका आहरण कर लिया होता, पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने वेतन के निर्धारण के पश्चात व्यक्तिगत वेतन आहरित करते रहेंगे। ऐसे व्यक्तिगत वेतन की मात्रा का भुगतान वेतन के निर्धारण की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की उपयुक्त दर पर उस अविध के लिए किया जाएगा जिसके लिए वे इसे आहरित करते रहे होंगे।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की उपयुक्त दर" से उस चरण जिसमें पुनरीक्षित वेतन संरचना में नौसैनिक का वेतन निर्धारित किया जाता है, से वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में ठीक अगली उच्च कोष्ठिका का अंतर अभिप्रेत है।

- (8) (i) ऐसे मामलों में जहां कोई ज्येष्ठ नौसैनिक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर रैंक पर प्रोन्नत किया गया था, पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर रैंक पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो ज्येष्ठ नौसैनिक का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर रैंक पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ नौसैनिक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्
 - (क) कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ दोनों नौसैनिक एक ही समूह या शाखा और रैंक के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी समृह या शाखा के समरूप पद हों;
 - (ख) निम्नतर और उच्चतर रैंकों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, के वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान ग्रेड वेतन और संशोधित लेवल समरूप हों;
 - (ग) प्रोन्नति के समय ज्येष्ठ नौसैनिक कनिष्ठ नौसैनिक के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।
 - (घ) विसंगति सीधे तौर पर इस विनियम पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन नियतन को विनियमित करने वाले किसी अन्य विनियम या आदेश के उपबंधों के लागू होने के फलस्वरूप होगी :
 - परन्तु कि यदि कोई कनिष्ठ नौसैनिक उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के आधार पर विद्यमान वेतन संरचना में ज्येष्ठ नौसैनिक से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो ज्येष्ठ नौसैनिक का वेतन बढ़ाने के लिए इन नियमों के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।
 - (iii) ज्येष्ठ नौसैनिक अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।
- 8. प्रशिक्षणरत रंगरूट की वृत्तिका का विनियमन तथा सफल अनुप्रमाणन/मस्टरिंग के पश्चात उसके वेतन का नियतन
- (1) 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात प्रशिक्षणरत कोई रंगरूट 14,600/-रुपए प्रतिमास वृत्तिका आहरित करेगा ।

- (2) सफल अनुप्रमाणन या मस्टिरंग होने पर, किसी रंगरूट का वेतन एसी वेतनवृद्धियों को, जो स्वीकार्य हों, जोड़ने के पश्चात उस लेवल में, जिसमें उसे भर्ती किया गया है, प्रथम कोष्ठिका में नियत किया जाएगा। ऐसे नियतन हेतु, प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि की गणना उसके अभ्यवेशन की तारीख से की जाएगी।
- (3) सफल अनुप्रमाणन/मस्टरिंग होने पर, कोई रंगरूट को "एकमुश्त राशि" का संदाय किया जाएगा । इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु, "एकमुश्त राशि" निम्नलिखित के बीच अंतर से अभिप्रेत होगा :
 - (क) लेवल में वेतन, समूह 'एक्स' वेतन, आबंटित ट्रेड के भत्ते और मंहगाई भत्ते जिसके लिए वह अपने अभ्यवेशन की तारीख से हकदार होता, यदि उसकी मस्टिरिंग या अनुप्रमाणन सफलतापूर्वक किया गया होता, का योग ; और
 - (ख) वृत्तिका जिसके लिए वह प्रशिक्षण के लिए हकदार है (चाहे ऐसी वृत्तिका प्राप्त की गई थी या नहीं)।
- (4) "वृत्तिका के बकायों" का भुगतान किया जाएगा। इस उप नियम के प्रयोजन के लिए `बकाया वृत्तिका` के बीय का अंतर अभिप्रेत है:-
 - (क) वृत्तिका जिसके लिए वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अविध के लिए इन नियमों के अधीन अपनी वृत्तिका के पुनरीक्षण के फलस्वरूप हकदार है; और
 - (ख) यदि उसकी वृत्तिका इस प्रकार पुनरीक्षित नहीं की गई होती तो ऐसी वृत्तिका जिसके लिए वह उस अवधि के लिए हकदार हो गया होता (चाहे ऐसी वृत्तिका प्राप्त कर ली गई थी या नहीं)।
- 9. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धियों का विनियमन:— वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में लागू लेवल की लम्बवत् कोष्ठिका में यथा-विनिर्दिष्ट होगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में 29600 रुपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा	वेतन बैंड	5	200 – 2020	0
एक लीडिंग सीमैन उसी लेवल में लंबवत नीचे की ओर कोष्ठिकाओं मे चलेगा और वेतन वृद्धि दिए पर	ग्रेड वेतन	2000	2400	2800
उसका मूल वेतन 30500 रुपए हो जाएगा ।	लेवल	3	4	5
	1	21700	25500	29200
	2	22400	26300	30100
	3	23100	27100	31000
	4	23800	27900	31900
	5	24500	28700	32900
	6	25200	29600	33900
			1	
	7	26000	30500	34900
	8	26800	31400	35900

10. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की तारीख -

- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई, परन्तु कोई नौसैनिक या कोई रंगरूट अपनी यथास्थिति नियुक्ति या प्रोन्नित या वित्तीय उन्नयन अथवा भर्ती की तारीख के आधार पर 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवस सिम्मिलित) की अविध के दौरान नियुक्त या प्रोन्नत या वित्तीय रूप से प्रोन्नत नौसैनिक या भर्ती रंगरूट के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे नौसैनिक जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवस सिम्मिलित) की अविध में नियुक्ति या प्रोन्नित या वित्तीय उन्नयन दिया गया हो अथवा भर्ती रंगरूट के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

दृष्टांतः

- (क) लीडिंग सीमैन एक्स को 01 सितम्बर, 2016 को पेटी अफसर के रैंक पर प्रोन्नत किया जाता है। इस मामले में लीडिंग सीमैन एक्स को पहली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके पश्चात यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।
- (ख) ऐसे चीफ पेटी अफसर वाई जिन्हें मास्टर चीफ पेटी अफसर ॥ के रैंक में 15 जून, 2016 को प्रोन्नति दी गई है और इसीलिए वह 01 जुलाई 2016 को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगा । इस मामले में, अगली वार्षिक वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

परंतु कि ऐसे नौसैनिक के मामले में, पुनरीक्षित वेतन संरचना में जिसका वेतन 01 जनवरी के अनुसार नियत किया गया है, उस लेवल में जिसमें उसका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, उसकी अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्रोद्भूत होगी।

परंतु यह और कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्रोद्भूत होगी।

- 11. **01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का पुनरीक्षण** जहां कोई नौसैनिक विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है वहां पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन विनियम 7 के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।
- 12. **01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् प्रोन्नित या उन्नयन पर वेतन का नियतन** पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नित या उन्नयन की दशा में, वेतन नियतन के लिए एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से नौसैनिक को प्रोन्नित या उन्नयित किया जाता है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नित या उन्नयन दिया गया है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल, जिसमें प्रोन्नित दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

दृष्टांतः

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4	वेतन	⁻ बैंड	5200-20200	
2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन: 28700	ग्रेड वेतन	2000	2400	2800
3. लेवल 5 में दी गई प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन	लेवल	3	4	5
l. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात्	1	21700	25500	29200
वेतन : 29600	2	22400	26300	30100

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन (लेवल 5	3	23100	27100	31000
में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि) : 30100	4	23800	27900	31900
	5	24500	28700	32900
	6	25200	29600	33900
	7	26000	30500	34900
	8	26800	31400	35900
	9	27600	32300	37000

13. वेतन की बकाया राशि के संदाय की रीति – (1) पुनरीक्षित वेतन के संदर्भ में वायुसेना भविष्य निधि की वर्धित दर पर अंशदान के पश्चात संगणित बकाया का भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के तारीख 10/10/2016 के पत्र सं. 1(11)2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं) के अनुसार संदत्त तदर्थ बकाया की कटौती के पश्चात संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी नौसैनिक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" से निम्नलिखित के बीच अंतर अभिप्रेत है:

- (i) वेतन, मंहगाई भत्ते, ग्रुप 'एक्स' वेतन तथा सैन्य सेवा वेतन, जिसका वह इन विनियमों के अधीन अपने वेतन के पुनरीक्षण के कारण 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अविध के लिए हकदार है, का योग; और
- (ii) वेतन, मंहगाई भत्ते, ग्रुप 'एक्स' वेतन तथा सैन्य सेवा वेतन, जिसका वह उस अवधि के लिए हकदार होता (चाहे ऐसा वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया हो या नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार पुनरीक्षित न किया गया होता. का योग।
- 14. विनियमों का अध्याहोरी प्रभाव नौसेना के लिए वेतन तथा भत्ते विनियमावली, 1966, के उपबंध तथा विद्यमान अनुदेश और विनियम, इस विनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे विनियम इन विनियमों से असंगत हैं, लागू नहीं होंगे जहां वेतन इन विनियमों के अधीन विनियमित किया गया है और यह विनियम एसएनआई 1/एस/2008 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करेंगा, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो अथवा करने का विलोपन किया गया हो।
- 15. शिथिल करने की शक्ति जहां राष्ट्रपित का यह समाधान हो जाता है कि इस विनियम के सभी अथवा किसी उपबंध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किठनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों, जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।
- 16. **निर्वचन यदि** इस विनियम के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विनिश्चय के लिए इसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा।

अनुसूची [विनियम 3 **(**छ) तथा 4 देखें]

भाग-क

वेतन मैट्रिक्स

> - 3:-								22.422		
वेतन बैंड	5	200-2020	0		9300-34800				15600-39100	
ग्रेड वेतन	2000	2400	2800	3400	4200	4600	4800	5400	5400	6100
स्तर	3	4	5	5ए	6	7	8	9	10	10बी
1	21700	25500	29200	33300	35400	44900	47600	53100	56100	61300
2	22400	26300	30]00	34300	36500	46200	49000	54700	57800	63100
3	23100	27100	3]000	35300	37600	47600	50500	56300	59500	65000
4	23800	27900	31900	36400	38700	49000	52000	58000	61300	67000
5	24500	28700	32900	37500	39900	50500	53600	59700	63]00	69000
6	25200	29600	33900	38600	41100	52000	55200	61500	65000	71100
7	26000	30500	34900	39800	42300	53600	56900	63300	67000	73200
8	26800	31400	35900	41000	43600	55200	58600	65200	69000	75400
9	27600	32300	37000	42200	44900	56900	60400	67200	71100	77700
10	28400	33300	38100	43500	46200	58600	62200	69200	73200	80000
11	29300	34300	39200	44800	47600	60400	64100	71300	75400	82400
12	30200	35300	40400	46100	49000	62200	66000	73400	77700	84900
13	31100	36400	41600	47500	50500	64100	68000	75600	80000	87400
14	32000	37500	42800	48900	52000	66000	70000	77900	82400	90000
15	33000	38600	44100	50400	53600	68000	72100	80200	84900	92700
16	34000	39800	45400	51900	55200	70000	74300	82600	87400	95500
17	35000	41000	46800	53500	56900	72100	76500	85100	90000	98400
18	36100	42200	48200	55100	58600	74300	78800	87700	92700	101400
19	37200	43500	49600	56800	60400	76500	81200	90300	95500	104400
20	38300	44800	51100	58500	62200	78800	83600	93000	98400	107500
21	39400	46100	52600	60300	64100	81200	86100	95800	101400	110700
22	40600	47500	54200	62100	66000	83600	88700	98700	104400	114000
23	41800	48900	55800	64000	68000	86100	91400	101700	107500	117400
24	43100	50400	57500	65900	70000	88700	94100	104800	110700	120900

भाग-ख

रैंकों का लेवल :

क्र.सं.	रैंक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(क)	सीमैन ।/॥	3
(ख)	लीडिंग सीमैन	4
(ग)	पेटी अफसर	5
(ঘ)	मैकेनिशियन्स और आर्टिफिशर्स	5क
(ङ)	चीफ पेटी अफसर	6
(च)	मास्टर चीफ पेटी अफसर ॥	7
(छ)	मास्टर चीफ पेटी अफसर ।	8
(ज)	मानद सेकेंड लेफ्टिनेंट	10
(झ)	मानद लेफ्टिनेंट	10ख

विकल्प का प्रारूप

{विनियम 6 (2) देखें}

				=		
		नाम ा का चयन करता हूँ/क	सेवा सं रती हैं।	शाखा		01 जनवरी, 2016 से
*2.	मैं, रैंक	•		_ सेवा सं	शाखा	अपने निम्नः
	बढ़कर_ छोड़ने / बंद क हूँ:	रने तक /	ख तक / मेरी पश्चात रुपए हो जाए / के पद पर मेरी प्रोन्न	मेरे विद्यमान है ति की तारीख त	वेतन संरचना में कि बने रहने का	[:] वेतन आहरित करन
	विद्यमान वेतन	ा बैड और ग्रेड वेतन /ी	विद्यमान वेतनमान		1	
				नाम		
				यूनिट		
	:					
*	जो लागू न हो,	उसे काट दें।				

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में नियत हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

	हस्ताक्षर	
	नाम	
	रैंक	
	सेवा संख्या	
	यूनिट	
तारीख :		
स्टेशन :		

[फा.सं. 1(9)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं]

वी. आनन्दराजन, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन.- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 01 जनवरी, 2016 से कार्यान्वित कर दिया गया है। उसी प्रकार, भारत संघ के रक्षा कार्मिक 01 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन संशोधन हेतु पात्र हैं। तदनुसार, इन नियमों को 01 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। एतदद्वारा, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई कार्मिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2017

- **S.R.O. 11(E).**—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—
- 1. Short title and commencement:— (1) These regulations may be called Navy Pay Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.
- 2. Application.-
- (1) Save as otherwise provided by or under this regulation, these shall apply to Honorary Commissioned Officers, Master Chief Petty Officer I/II, Chief Petty Officer, Petty Officer, Leading Seaman, and Seamen I/II, and includes Artificers or Mechanicians, who were on the effective strength of the Navy as on 1 January 2016; and recruits in Navy undergoing training.
- **3. Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires.
 - (a) "existing basic pay" means pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay but it does not include any other types of pay like Special Pay, Military Service Pay, Group 'X' Pay etc;
 - (b) "existing Pay Band and Grade Pay" in relation to a Sailor means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the rank held by him (including under Modified Assured Career Progression) as on the date immediately before the notification of these regulations, in a substantive capacity;

Explanation.— For the purpose of these rules, the expressions "existing basic pay", "existing Pay Band and Grade Pay" in respect of a Sailor who, on the 1st day of January, 2016, was on deputation out of Indian Navy or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one

or more lower ranks but for his officiating in the higher rank, shall mean such basic pay, Pay Band and Grade Pay in relation to the rank which he would have held but for his being on deputation out of Indian Navy or on leave or on foreign service or as the case may be, but for his officiating in that rank;

- (c) "existing pay structure" in relation to a Sailor means the present system of Pay Band and Grade Pay as per Sixth Central Pay Commission applicable to the rank held by him (including under Modified Assured Career Progression) as on the date immediately before the coming into force of these regulations, in a substantive capacity;
- (d) "existing Military Service Pay" in relation to a Sailor means the amount of Military Service Pay applicable to the rank held by him as on date immediately before coming into force of these regulations;
- (e) "existing Group 'X' Pay" in relation to a Sailor means the amount of Group 'X' Pay applicable to him as on date immediately before coming into force of these regulations;
- (f) "existing emoluments" mean the sum of (i) existing basic pay; (ii) existing Military Service Pay; (iii) existing Group X Pay; and, (iv) existing dearness allowance at the index average as on 1st day of January, 2016;
- (g) "Pay Matrix" means the Matrix specified in Part A of the Schedule, with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding Pay Band and Grade Pay;
- (h) "Level" in the Pay Matrix, means the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay specified in the Part A of the Schedule;
- (i) "pay in the Level" means the pay drawn in the appropriate Cell of the Level as specified in Part A of the Schedule;
- (j) "Military Service Pay" in relation to a Sailor means the Military Service Pay applicable to the rank held by him on drawal of pay in the prescribed Level in the Pay Matrix;
- (k) "Group 'X' pay" in relation to a Sailor means the Group 'X' pay applicable to him on drawal of pay in the prescribed Level in the Pay Matrix;
- (I) "revised pay structure" in relation to a rank means the Pay Matrix and the Levels specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay of the rank (including under Modified Assured Career Progression);
- (m) "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix;
- (n) "revised emoluments" means the sum of (i) basic pay; (ii) Military Service Pay; and, (iii) Group 'X' Pay; and
- (o) "Schedule" means a schedule appended to these regulations.
- **4. Level of ranks.—** the Level of ranks shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay (including under Modified Assured Career Progression) as specified in the Pay Matrix. The Level in Pay Matrix corresponding to the rank of a Sailor is specified in Part B of the Schedule.
- **5. Drawal of pay.** Save as otherwise provided in these regulations, a Sailor shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the rank to which he is appointed (including under Modified Assured Career Progression);

Provided that a Sailor may elect to continue to draw pay in the existing pay structure, until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure, or until he ceases to hold his rank or ceases to draw pay in the existing pay structure;

Provided further that in case a Sailor has been placed in a higher grade pay between 1st day of January 2016 and the date of notification of these regulations on account of promotion, he may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion;

Explanation.— (i) For the purposes of these rules the option to retain the existing pay structure under the provisions of these regulations shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay.

(ii) The aforesaid option will not be admissible to any Sailor appointed to a post on or after the 1st day of January, 2016, whether for the first time in government service or by transfer from another post and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

- (2) (i) Military Service Pay is compensation for the various intangible aspects linked to the special conditions of service in Navy;
- (ii) Military Service Pay shall be admissible on drawal of pay in the prescribed Level in the Pay Matrix, at the rate of Rs 15,500 for Honorary Commissioned Officers, and Rs 5,200 for all other Sailors;
- (iii) Military Service Pay shall be counted as pay for the purpose of computation of dearness allowance and pension only;
- (3) (i) Group 'X' Pay is a fixed amount admissible to a Sailor of Group 'X' only, because of his higher educational qualification vis-à-vis a Sailor of Group 'Y';
- (ii) the Levels for same ranks in trade Group 'X' and trade Group 'Y' shall be same. Group 'X' Pay shall be admissible on drawal of pay in the prescribed Level in the Pay Matrix at;
 - (a) a higher rate of Rs 6,200, for Group X' trades which requires a qualification equivalent to a diploma recognised by All India Council for Technical Education; and,
 - (b) a lower rate of Rs 3,600, for other Group 'X' trades, but not having a technical qualification recognised by All India Council for Technical Education.
- (iii) when a Sailor in relevant Group 'X' trades drawing a lower rate of Group 'X' Pay acquires a higher technical qualification equivalent of a diploma recognised by All India Council for Technical Education, he shall be admissible to higher rate of Group 'X' Pay with the approval of concerned Competent Authority;
- (iv) when a Sailor is re-mustered from Group 'Y' to Group 'X', he shall be admissible Group 'X' Pay as applicable under clause (ii).
- (v) Group 'X' Pay shall be counted as pay for the purpose of computation of dearness allowance only.
- **6. Exercise of option.–** (1) The option under the provisions to regulation 5 shall be exercised in writing in the form appended to these regulations so as to reach the Naval Pay Office Mumbai within one hundred and eighty days of the date of notification of these regulations, or where revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to the date of notification of these regulations, within one hundred and eighty days of the date of such order.

Provided that;

- (i) in the case of a Sailor who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the Naval Pay Office Mumbai within one hundred and eighty days of the date of his taking charge of his post in India; and,
- (ii) where a Sailor is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within one hundred and eighty days of the date of his return to his duty, if that date is later than the date prescribed in this sub-regulation.
- (2) The option, along with an undertaking appended to these regulations, shall be intimated by a Sailor to the Naval Pay Office Mumbai.
- (3) If the intimation regarding option is not received by the Naval Pay Office Mumbai within one hundred and eighty days of the date of notification of these regulations, the Sailor shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2016.
- (4) The option once exercised shall be final.
 - Note 1. Sailors whose services were terminated on or after the 1st day of January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned strength, release, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to exercise option under subregulation(1).
 - Note 2. Sailors who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within the prescribed time limit, are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears shall be taken by the Commodore Bureau of Sailors/Naval Pay Office, Mumbai as appropriate.

- Note 3. Sailors who were on Annual Leave or any other leave on the 1st day of January, 2016, which entitled them to leave salary, shall be entitled to exercise option under sub-regulation(1).
- **7. Fixation of pay in the revised pay structure.** (1) The pay of a Sailor who elects, or is deemed to have elected under regulation 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in case the President by special order otherwise directs, be fixed in the following manner.
 - (i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a *factor of 2.57*, rounded off to the nearest rupee, and the figure so arrived at shall be located in that Level in the Pay Matrix, and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.
 - (ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) the pay shall be fixed at the minimum pay or the first Cell of that applicable Level.

Illustration:

1.	Existing Pay Band : PB-1
2.	Existing Grade Pay : 2400
3.	Existing Pay : 10160
4.	Existing Basic Pay [(2)+(3)=(4)]: 2400 + 10160 = 12560
5.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 [(4) x 2.57]: 32279.2 (rounded off to 32279)
6.	Level corresponding to Grade Pay 2400 (PB-1) : Level 4
7.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 32279 in Level 4) : 32300
8.	Revised Pay in Pay Matrix:32300

Pay Band	5200 –20200					
Grade Pay	2000	2400	2800			
Levels	3	4	5			
1	21700	25500	29200			
2	22400	26300	30100			
3	23100	27100	31000			
4	23800	27900	31900			
5	24500	28700	32900			
6	25200	29600	33900			
7	26000	30500	34900			
8	26800	31400	35900			
9	27600	32300	37000			
10	28400	33300	38100			
11	29300	34300	39200			
12	30200	35300	40400			
13	31100	36400	41600			
14	32000	37500	42800			
15	33000	38600	44100			
16	34000	39800	45400			

- (2) A Sailor who is on leave on the 1st of January, 2016 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from the 1st day of January, 2016, or the date of option for the revised pay structure.
- (3) A Sailor under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure, and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.
- (4) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Sailor, the difference shall be allowed as Personal Pay to be absorbed in future increases in pay.
- (5) Where in the fixation of pay in the Pay Matrix under regulation 7, the pay in the Pay Matrix of a Sailor, who, in the existing pay structure was drawing immediately before the 1st of January, 2016 more pay in the

Pay Band than another Sailor in the same arm or service, gets fixed in the revised pay structure at a stage lower than that of such junior, his pay in the Pay Matrix shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as that of the junior.

- (6) Where a Sailor is in receipt of Personal Pay immediately before the date of notification of these regulations, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such a Sailor as Personal Pay, to be absorbed in future increase in pay.
- (7) In case of Sailors who are in receipt of Personal Pay for passing Hindi Pragya, Hindi Typewriting, Hindi shorthand and such other examinations under the "*Hindi Teaching Scheme*" or on successfully undergoing training in cash and accounts matters prior to –January, 2016, while the Personal Pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised pay structure, they shall continue to draw Personal Pay after fixation of their pay in the revised pay structure on and from the day of January 2016 or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised pay structure and the quantum of such Personal Pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised pay structure from the date of fixation of pay for the period for which they would have continued to draw it.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, "appropriate rate of increment in the revised pay structure" means the difference with respect to the next immediate higher Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, from the stage at which the pay of the Sailor is fixed in the revised pay structure.

- (8) (i) in cases where a senior Sailor promoted to a higher rank before the 1st of January, 2016 draws less pay in the Pay Matrix in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher rank on or after the 1st of January, 2016, the pay in the Pay Matrix of the senior Sailor in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay in the Pay Matrix as fixed for his junior in that higher rank, and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Sailor, subject to fulfilment of the following conditions, namely:—
 - (a) both the junior and senior Sailors belong to the same group or branch and the rank to which they have been promoted are identical in the same group or branch.
 - (b) the existing grade pay and the revised Level in the Pay Matrix of the lower and higher ranks in which they are entitled to draw pay are identical.
 - (c) the senior Sailor at the time of promotion is drawing equal or more pay than the junior.
 - (d) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of this regulation or any other regulation or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure.

Provided that if the junior Sailor was drawing more pay in the existing pay structure than the senior Sailor by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of these regulations shall not be invoked to step up the pay in the Pay Matrix of the senior Sailor.

- (ii) The senior Sailor shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.
- 8. Regulation of stipend of a recruit undergoing training and fixation of his pay after successful attestation or mustering.—
- (1) A recruit undergoing training on or after 1st day of January 2016 shall draw a stipend of Rs. 14,600 per month.
- (2) On successful attestation/ mustering, the pay of a recruit shall be fixed after adding increments, as may be admissible, to the first Cell in the Level to which he is recruited. For such fixation, the first annual increment shall be reckoned from his date of enrolment.
- (3) On successful attestation or mustering, a recruit shall be paid "lump-sum amount". For the purpose of this sub-regulation, "lump-sum amount" shall mean the difference between:
 - (a) the aggregate of pay in the Level, Group 'X' Pay, allowance of the trade to which allotted, and dearness allowance, to which he would have been entitled had he been successfully mustered or attested from his date of enrolment; and
 - (b) the stipend to which he is entitled during training (whether such stipend had been received or not).
- (4) The "arrears of stipend" shall be paid. For the purpose of this sub-regulation, "arrears of stipend" shall mean the difference between:

- (a) the stipend to which he is entitled on account of the revision of his stipend under these regulations for the period effective from the 1st day of January, 2016; and
- (b) the stipend to which he would have been entitled (whether such stipend had been received or not) for that period had his stipend not been so revised.
- **9. Regulation of increments in the Pay Matrix:—** The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

A Leading Seaman in the Basic Pay of Rs.	Pay Band	5200 – 20200)
29,600/– in Level 4 will move vertically down the Cells in the same Level and on grant of	Grade Pay	2000	2400	2800
increment, his Basic Pay will be Rs. 30500/	Levels	3	4	5
	1	21700	25500	29200
	2	22400	26300	30100
	3	23100	27100	31000
	4	23800	27900	31900
	5	24500	28700	32900
	6	25200	29600	33900
			•	
	7	26000	30500	34900
	8	26800	31400	35900

10. Date of increment in revised pay structure:-

- (1) There shall be two dates for grant of annual increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July, provided that a Sailor or a recruit shall be entitled to only one annual increment, either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment or promotion or upgradation, or enrolment, as the case may be.
- (2) The increment in respect of a Sailor appointed or promoted or upgraded or in respect of a recruit enrolled during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on the 1st day of January and the increment in respect of a Sailor appointed or promoted or upgraded or in respect of a recruit enrolled during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

- (a) Leading Seaman X gets promoted to Petty Officer on 1st of September, 2016. In this case, the first increment shall accrue to Leading Seaman X on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.
- (b) Chief Petty Officer Y gets promoted to the rank of Master Chief Petty Officer II on 15th of June, 2016, and will, therefore, not draw annual increment on the 1st of July, 2016. In this case, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

Provided that in case of a Sailor whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016.

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July 2016 shall accrue on the 1st day of July 2017.

11. Revision of pay from a date subsequent to the 1st day of January 2016.— Where a Sailor who continues to draw his pay in the existing pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in accordance with regulation 7.

12. Fixation of pay on promotion or upgradation on or after 1st **day of January, 2016.**— For the fixation of pay in case of promotion or upgradation from one Level to another in the revised pay structure, one increment shall be given in the Level from which a Sailor is promoted or upgraded and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the rank to which promoted or upgraded, and if no such Cell is available in the Level to which promoted or upgraded, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

Illustration:

1.	Level in the revised pay structure: Level 4	Pay Band		5200 – 20200		
2.	Basic Pay in the revised pay structure: 28700	Grade Pay	2000	2400	2800	
3.	Granted promotion/ financial upgradation in Level 5.	Levels	3	4	5	
		1	21700	25500	29200	
		2	22400	26300	30100	
4.	Pay after giving one increment in Level 4: 29600	3	23100	27100	31000	
	23000	4	23800	27900	31900	
		5	24500	28700	32900	
5.	Pay in the upgraded Level i.e, Level 5 (either equal to or next higher to 29600 in	6	25200	29600	33900	
	Level 5) : 30100	7	26000	30500	34900	
		8	26800	31400	35900	
		9	27600	32300	37000	

13. Mode of Payment of Arrears of Pay.— (1) The arrears, computed after deduction of subscription at enhanced rate of AFPP Fund with reference to revised pay, shall be paid after deduction of adhoc arrears paid as per Gol MoD letter No 1(11) 2016/D(Pay/Services) dated 10/10/2016.

Explanation. – For the purpose of this regulation, "arrears of pay" in relation to Sailor, means the difference between,–

- (i) the aggregate of the pay, dearness allowance, Group 'X' Pay and Military Service Pay to which he is entitled on account of the revision of his pay under this Regulation for the period effective from the 1st of January, 2016; and;
- (ii) the aggregate of the pay, dearness allowance, Group 'X' Pay and Military Service Pay to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and dearness allowance not been so revised.
- **14. Overriding effect of regulations.—** The provisions of the Pay and Allowances Regulations for Navy 1966, and existing instructions and regulations shall not save as otherwise provided under this Regulation, apply to cases where pay is regulated under this Regulation, to the extent they are inconsistent with this Regulation and these Regulations shall supersede Special Navy Instructions 1/S/2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.
- **15. Power to relax.** Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of this regulation causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that provision to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
- **16. Interpretation.** If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of the regulations contained in these Regulations, it shall be referred to the Central Government for decision.

SCHEDULE [See regulations 3(g) and 4] PART A Pay Matrix

Pay Band	5200–20200		9300–34800				15600–39100			
Grade Pay	2000	2400	2800	3400	4200	4600	4800	5400	5400	6100
Level	3	4	5	5A	6	7	8	9	10	10B
1	21700	25500	29200	33300	35400	44900	47600	53100	56100	61300
2	22400	26300	30100	34300	36500	46200	49000	54700	57800	63100
3	23100	27100	31000	35300	37600	47600	50500	56300	59500	65000
4	23800	27900	31900	36400	38700	49000	52000	58000	61300	67000
5	24500	28700	32900	37500	39900	50500	53600	59700	63100	69000
6	25200	29600	33900	38600	41100	52000	55200	61500	65000	71100
7	26000	30500	34900	39800	42300	53600	56900	63300	67000	73200
8	26800	31400	35900	41000	43600	55200	58600	65200	69000	75400
9	27600	32300	37000	42200	44900	56900	60400	67200	71100	77700
10	28400	33300	38100	43500	46200	58600	62200	69200	73200	80000
11	29300	34300	39200	44800	47600	60400	64100	71300	75400	82400
12	30200	35300	40400	46100	49000	62200	66000	73400	77700	84900
13	31100	36400	41600	47500	50500	64100	68000	75600	80000	87400
14	32000	37500	42800	48900	52000	66000	70000	77900	82400	90000
15	33000	38600	44100	50400	53600	68000	72100	80200	84900	92700
16	34000	39800	45400	51900	55200	70000	74300	82600	87400	95500
17	35000	41000	46800	53500	56900	72100	76500	85100	90000	98400
18	36100	42200	48200	55100	58600	74300	78800	87700	92700	101400
19	37200	43500	49600	56800	60400	76500	81200	90300	95500	104400
20	38300	44800	51100	58500	62200	78800	83600	93000	98400	107500
21	39400	46100	52600	60300	64100	81200	86100	95800	101400	110700
22	40600	47500	54200	62100	66000	83600	88700	98700	104400	114000
23	41800	48900	55800	64000	68000	86100	91400	101700	107500	117400
24	43100	50400	57500	65900	70000	88700	94100	104800	110700	120900

PART B

Level of ranks:

*To be scored out, if not applicable.

SI. No.	Rank	Level in Pay Matrix	
(a)	Seaman I/II	3	
(b)	Leading Seaman	4	
(c)	Petty Officer	5	
(d)	Mechanicians and Artificers	5A	
(e)	Chief Petty Officer	6	
(f)	Master Chief Petty Officer II	7	
(g)	Master Chief Petty Officer I	8	
(h)	Honorary Second Lieutenant	10	
(i)	Honorary Lieutenant	10B	

FORM OF OPTION [See regulation 6(2)]

*1.		Name		Service No
		Branch	hereby elect the revised pay structure with effect fi	rom 1 st January,
2016.				
*2.	Rank	Name		Service No
		Branch mentioned below until:	hereby elect to continue in Pay Band and Grall:	ade Pay of my
		I vacate or cea	the date of my subsequent increment raising ase to draw pay in the existing pay structure/ The date digrade Pay / Existing Scale	
			Signature	
			Name	
			Rank	
			Service No	
			Unit	
Date:				
Statior	າ:			

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

UNDERTAKING

I hereby undertake that any excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect fixation of pay or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently will be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

	Signature
	Name
	Rank
	Service No
	Unit
Date:	
Station:	

[F. No. 1(9)/2016/ D (P/S)

V. ANANDARAJAN, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum.– The Seventh Central Pay Commission has been implemented with effect from the 1st day of January, 2016. Likewise, the Defence Personnel of the Union of India are eligible for Seventh Central Pay revision with effect from the 1st day of January, 2016. Accordingly, these Rules have been given retrospective effect with effect from the 1st day of January, 2016. It is hereby, certified that by giving retrospective to these rules no one will be adversely affected.